सिरमौर के चांदनी गाँव में अनुसूचित जाति परिवार पर हिंसक हमला
'भूमि विवाद' नहीं, दबंगों द्वारा खुले आम गुंडागर्दी और ज़मीन पर कब्ज़ा!
स्वायत फैक्ट फायिन्डिंग दल की रिपोर्ट
नवंबर 2020

1. परिचय: तथ्य शोधक दल की ज़रूरत क्यों?

17 सित्तम्बर 2020 को सोशल मीडिया के माध्यम से सिरमौर जिले में एक अनुसूचित जाति परिवार पर खूनी हमला होने की एक घटना की खबर सामने आई. परन्तु मीडिया की रिपोर्ट देख कर पूरी घटना के बारे में जानना असम्भव था. अनुसूचित जाति विकास संगठन सिरमौर के कार्यकर्ता से बात करने पर पता चला कि मामला काफी संगीन था और हमले में जगिया राम नामक, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की ऊँगली काट दी गयी थी - और इस मामले में पहले तो कुछ हमलावरों की गिरफ्तारी हुयी थी परन्तु आगे यह खबर आने लगी कि इनको ज़मानत मिल गयी है. साथ ही, सिरमौर जिले के जातिगत हिंसा और प्रशासन तथा पुलिस की उदासीन भूमिका के इतिहास को देखते हुए एक स्वायत फैक्ट फायिन्डिंग की शीघ्रत: आवश्यकता थी. फैक्ट फायिन्डिंग दल के सदस्य:

- बिमला विश्वप्रेमी, संयोजिका, पर्वतीय महिला अधिकार मंच
- बीरबल, अनुसूचित जाति विकास संगठन, सिरमौर
- गुलाब सिंह, सिरमौर वन अधिकार मंच
- अजय कुमार, सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जन-अभियान
- मान्शी आशर, सदस्य, हिमधरा समूह

दल ने 12 और 13 अक्टूबर को दौरा किया और इसके दौरान गाँव चांदनी में जगिया राम और संतोष देवी से बातचीत हुयी. साथ ही कोली सभा के अध्यक्ष लीलाधर चौहान से फोन पर बात हुयी और DSP पौंटा साहिब और SP नाहन से इस मामले में पुलिस के रुख को समझने के लिए भी मुलाक़ात की गयी.

हिमाचल में अनुसूचित जातियों (SC) की स्थिति पर ज़रूरी आंकड़े

- **17.3 लाख अनुसूचित जाति जन संख्या - कुल जनसंख्या का 26%**
- **प्रदेश की 61% SC जन संख्या सिरमौर, सोलन, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और शिमला में**
- **SC औसत भूमि 0.73 हेक्टेयर और कुल 1.8 लाख SC काश्तकार जिसमें 80% सीमान्त किसान**
- **2019 SC के खिलाफ कुल अपराध-दर 10.9%**
- **SC के खिलाफ कुल अपराध - 2017 में 109, 2018 में 130, 2019 में 189 केस दर्ज**
- **2019 में कुल 111 केस कोर्ट ट्रायल तक पहुंचे और पिछले पेंडिंग केस जोड़ के 520 केस अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के चल रहे थे.**
- **हिमाचल राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध में कन्विक्शन रेट केवल 9%**
- **जिन अपराधों में FIR दर्ज हुयी उसमें IPC की धारा न के बराबर लगी - और अधिकतर केस में अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किये गये**
- **2019 में 8 केस POA की धारा 3(1)(g) यानी भूमि से बेदखली से जुड़े थे**

स्रोत: SC सब प्लान हिमाचल तथा NRCB 2019 रिपोर्ट

2. घटना का विवरण

क. पृष्ठभूमि

जगिया राम पिता नैन सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी, कोली समाज (अनुसूचित जाती से सम्बन्ध रखते हैं) गांव चांदनी (डाकघर भरोग बनेड़ी तहसील कमरऊ जिला सिरमौर (हि0 प्र0)) में अपने दो बेटों के साथ निवास करते हैं. गांव में 40 परिवारों में से केवल 4 ही अनुसूचित जाति के परिवार हैं. अक्टूबर 2016 में जगिया राम ने अपने भाई के नाम पर एक सामान्य जाति के व्यक्ति मोहन सिंह से गांव से सतोण सड़क मार्ग पर 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि खरीदी थी. जगिया राम के भाई की सहमति से बैंक लोन लिया और जमीन की निशानदेही करवाई तभी पत्थर पर सफेदी कर के उन्होंने अपनी भूमि की सीमा बाँधी थी.

जगिया राम ने उस भूमि पर JCB के माध्यम से भूमि समतल करवाने का काम शुरू किया. उनका कहना है कि तभी से सामान्य जाति से सम्बन्ध रखने वाले एक परिवार के अनिल कुमार, कुलदीप, सोन सिंह, सुरिंदर, प्रकाश ने हमारी खरीदी गयी भूमि पर जबरन अपना कब्ज़ा जताना शुरू कर दिया. "जब से हमने ये भूमि खरीदी है तब से इस परिवार ने हमारे साथ लड़ाई करना शुरू किया और यह दावा किया की सड़क से लगती भूमि उनकी मल्कियत की ज़मीन है" जगिया राम ने बताया. अगस्त 2017 से ही भूमि पर सवर्ण परिवार द्वारा कब्ज़ा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है – कभी डरा धमका के तो कभी झूठे इलज़ाम लगा के जगिया राम और उनकी पत्नी को वहां काम करने से रोका गया. जब इस भूमि पर काम शुरू किया तो JCB से पानी की पाइप टूट गयी थी उसके लिए जगिया राम ने प्लास्टिक की पाइप डाली थी.

जगिया राम के अनुसार, "रातों रात इन लोगो ने पूरी पाइप को काट दिया जिसकी शिकायत मैंने थाणे में दर्ज करवाने की कोशिश भी की पर पुलिस की निराशाजनक प्रतिक्रिया रही". इस घटना के बाद 15 जुलाई 2019 को जगिया राम की DM कोर्ट नाहन में विस्तृत शिकायत की कापी संलग्न है **(संलग्न 1)**.

जगिया राम अपनी ज़मीन तथा हमले के स्थल पर

जून 2018 से इस भूमि का कोर्ट में सिविल केस चला हुआ है जो समान्य जाति के अनिल व उसके भाइयों ने किया है . "तहसीलदार और पटवारी भी उनके ही पक्ष में हैं और हमारी सुनवाई सही से नही कर रहे है"- जगिया राम. जगिया राम द्वारा तहसीलदार के खिलाफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नंबर 1100 पर भी शिकायत की गई थी. क्षेत्र के तहसीलदार ने बिना वजह कोर्ट में जगिया राम पर रू. 5000 जुर्माना भी लगाया था. जगिया राम कहते हैं कि "आज तक यह मालूम नही हुआ कि किस बात का जुर्माना लगाया गया है जबकि मेरे पास भूमि खरीदने के राजस्व दस्तावेज हैं". इन्होंने 3 लाख रुपए का सरिया बजरी मकान व सीमा दीवार के काम के लिए खर्च किया और उनका कहना है कि ये सब भी चोरी कर लिया गया. कोर्ट में मामला चल ही रहा था और कोर्ट ने इस स्थिति में अभी फैसला नहीं दिया था.

ख. हमले वाले दिन का घटना क्रम

जगिया राम का ज़ख्मी हाथ और टूटा फोन

सोमवार 16 सितम्बर 2020 समय दोपहर 11 बजे करीब अनिल कुमार, कुलदीप, सोन सिंह, सुरिंदर, प्रकाश और उनके परिवार की कुछ महिलाओं ने जगिया राम की भूमि पर कांटेदार तार-बाड़ व लोहे के खम्बे लगाने का काम लगा दिया . संतोष जी ने बताया कि "जैसे ही हमें कुछ आवाजें आने लगीं तो मैं और मेरे पति मौके पर पहुंचे और यह देखा तथा उनको तार लगाने से रोका. उन्होंने उसी वक्त हिंसक तरीके से प्रतिक्रिया दी और गाली गलौच कर हम पर हमला कर दिया". आगे दोनों ने बताया कि अनिल ने अपने साथ ली तलवार से जागिया राम की तरफ बढ़ कर उनके ऊपर सीधे वार किया. अपने उपरी शरीर और गर्दन के बचाव में उन्होंने हाथ आगे किया तो वार उनके हाथ पर हुआ और उनकी ऊँगली कट गयी. तब तक जगिया राम अपने फोन पर इस पूरी घटना की रेकोर्डिंग कर रहे थे पर जब उन पर हमला किया गया तो फ़ोन उनके हाथ से गिर गया. आगे संतोष ने बताया कि "परिवार की महिलाएं इस मार पीट में शामिल नहीं थी पर पुरुष थे और वो उनके साथ भी घुसा-लात करने लगे, उनके कपडे फाड़ दिए, उनको निजी अंगों पर छुआ और बाल पकड़ कर घसीटने लगे". जगिया राम ने यह भी बताया कि मौके पर ३ मजदूर थे (जो हमलावरों के साथ बाड़ का काम कर रहे थे और यह भी कोली समुदाय से थे) परन्तु उन्होंने इनका बचाव नहीं किया.

जगिया और संतोष की ज़मीन पर जबरन किया गया तार बाड

लगभग 1.30 से 1.45 मिनट के इस वीडियो में यह साफ़ दिख रहा है कि जगिया पहले मजदूरों से बात करते हुए उनसे पूछ रहा है कि वो किस आधार पर यह तार बाड़ लगा रहे हैं – वह यह भी कह रहा है (मजदूरों को) कि तुम हमारे रिश्तेदार हो (बिरादरी के) तो तुम जाओ यहाँ से बीच में मत पडो (जगिया के अनुसार वो नहीं चाहता थे कि इस मामले में उनको घसीटा जाये). संतोष (पत्नी) की बहस और तार बाड़ हटाने की कोशिश पर उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास दिख रहा है और फिर अचानक सफ़ेद कुरते में एक व्यक्ति तेज़ धार हथियार उठा कर जगिया राम जो कि वीडियो रेकोर्डिंग कर रहा था – की तरफ दौड़ता है और सीधे वार करता है – जिसके बाद फोन हाथ से छूट जाता है.

जगिया ने मोबइल फ़ोन उठाया और लहू लुहान अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों से मदद मांगने के लिए घर की ओर भागा. इस दौरान अनिल ने पत्थर से जगिया राम के सर को निशाना बना के पत्थर मारना शुरू किया और रास्ते तक पीछा किया. जगिया राम घर पहुंचा और कहा संतोष को बचाओ. संतोष पर हमला जारी था जब बाइक पर जा रहे राहगीरों ने सडक से शोर किया और महिला को छोड़ने की बात की. तब संतोष को उन लोगो ने छोड़ा. घरवालो ने 108 पर कॉल कर के पोंटा साहिब से एम्बुलेंस मंगवाई और 1 बजे हॉस्पिटल ले के गये .

घटना के गवाह और सबूत: घटना के गवाह सूरज सिंह, मोहन सिंह, रण सिंह जो कि हमला करने वाले परिवार के मजदूर की हैसियत से मौके पर मौजूद थे उन्होंने जगिया राम और संतोष के पक्ष में गवाही नहीं दी परन्तु जगिया राम द्वारा बनाई गयी विडियो जो की सोशल मीडिया के माध्यम से सब ने देखी इस मामले में सबसे पुख्ता सबूत है.

पीड़ित परिवार का विवरण

क्र स०	नाम	पिता का नाम	उम्र	लिंग	जाति	पेशा
1	जगिया राम	मैंन सिंह	42	पुरुष	कोली	खेती बाड़ी
2	संतोष देवी	जगिया राम	38	महिला	कोली	खेतीबाड़ी , गृहणी
3	पुत्र	जगिया राम	19	पुरुष	कोली	छात्र
4	पुत्र	जगिया राम	18	पुरुष	कोली	छात्र

हमला करने वालों का विवरण :

क्र स०	नाम	उम्र	लिंग	जाति	पेशा
1	अनिल सिंह तोमर	30	पुरुष	राजपूत	
2	सोहन सिंह तोमर		पुरुष	राजपूत	
3	सुरिंदर तोमर		पुरुष	राजपूत	
4	प्रकाश तोमर	40	पुरुष	राजपूत	
5	कुल्दीप तोमर	42	पुरुष	राजपूत	अध्यापक

जगिया राम द्वारा करवाई FIR की धारायें और उनका विवरण

IPC की धाराएं:

34 (सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य),

323 (जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड),

326 (तरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना),

341 (सदोष अवरोढ के लिये दंड),

354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधधक बल का प्रयोग),

506 (धमकाना)

PoA (SC/ST Act):

3(1)e(अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा),

3(1)f(अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को स्ब्बेगारर् करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा,

3(1)g (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा,

3(1)s

4. पुलिस और कोर्ट की प्रतिक्रिया और भूमिका

- जगिया और संतोष दोनों ही 16 – 23 सितम्बर तक पोंटा साहिब हॉस्पिटल में उपचाराधीन रहे. 16 सितम्बर 2020 को पुलिस द्वारा अस्पताल में ही दोनों जगिया राम और संतोष के बयान लिए गए और FIR दर्ज की गयी (126/2020) . **(संलग्न 2 FIR Copy 16/09/20)**

FIR से सम्बंधित कार्यवाही से जुड़े मुद्दे

- **जगिया राम और संतोष देवी ने पुलिस द्वारा जिस तरह से अस्पताल में ब्यान लिए गये उस पर विरोध जताते हुए बताया कि सहानुभूति तो दूर की बात है पुलिस ने जल्दी जल्दी में इलाज के बीच में ही बयान लिया. "हम बयान पढ़ने की स्थिति में ही नहीं थे और पुलिस का रवैया ठीक नहीं था". (संलग्न 3 - 29/09/20 को जगिया राम की पुलिस अधीक्षक सिरमौर को चिट्ठी)**
- **पुलिस का रुख इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि इस FIR में अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की एक भी धारा नहीं लगाई गयी और इसमें जानलेवा हमला होने के बावजूद IPC धारा 307 नहीं लगाई गयी ना हीं इसमें संतोष जी पर लैंगिक हिंसा करने के लिए कोई धारा लगी.**
- **हिमाचल कोली सभा के लीलाधर चौहान का कहना है कि यह कार्यवाही तभी की गयी जब चिट्ठी पत्री तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस तथा प्रशासन पर दबाव बनाया गया. (संलग्न 4 – अध्यक्ष, कोली सभा की पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी)**
- **पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए भी 3 दिन का समय लिया**

- 18 सितम्बर को FIR में **अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) e, f, g, s को जोड़ने और इसके अंतर्गत कार्यवाही के ऑर्डर SP नाहन द्वारा दिए गये. (संलग्न 5 18/09/20 SP नाहन का आदेश)**

- **इस Updated FIR की कॉपी जगिया राम के पास उपलब्ध नहीं थी और ना ही मेडिकल जांच की रिपोर्ट कॉपी उनके पास थी**

- 18 सितम्बर को 4 आरोपियों (जिनका नाम FIR में दर्ज था) को पुलिस ने हिरासत में लिया.
- आरोपियों की तरफ से cross FIR भी दर्ज की गयी और जगिया राम पर दरांती से वार करने का इलज़ाम लगाया गया. 25 सितम्बर को उच्च न्यायालय में बेल की अपील के बाद आरोपियों को ज़मानत मिल गयी. **(संलग्न 6)**

- **जांच दल के अनुसार यदि पुलिस द्वारा सही तौर पर इस केस में वकील और कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाते तो इस मामले में आरोपियों को ज़मानत नहीं मिल पाती. गौरतलब है कि यह मामला कोई अचानक उठा विवाद नहीं था बल्कि 3 वर्षों से जगिया राम को अलग अलग तरीके से आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था और इसमें 2019 जुलाई यानी इस घटना से 1 साल पहले काफी गहन शिकायत के रूप में प्रशासन को पेश किया जा चुका था. इस पूरी स्थिति के मद्दे नज़र कोर्ट को आरोपियों के प्रति कड़ा रुख लेते हुए ज़मानत की अपील खारिज करनी चाहिए थी क्योंकि जगिया राम को पहले ही अंदेशा था कि उसकी जान को ख़तरा है परन्तु फिर भी इसमें पुलिस द्वारा सही और समयबद्ध कार्यवाही न हो पाने के कारण इस प्रकार कि जातिगत हिंसा करने के लिए आरोपियों को बल मिला.**

- DSP पौंटा और SP सिरमौर दोनों ने ही यह ज़ाहिर किया कि पुलिस इस केस में पहले से कार्यवाही के लिए तत्पर रही है और मामले की जांच ठीक से की जा रही है. पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा के लिए दो कांस्टेबल उनके घर में तैनात किये हैं.
- **अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार** मुआवज़े की रक़म की पहली किश्त जगिया राम तथा संतोष के खाते में जमा कर दी गयी है.

- DSP पौंटा का कहना था कि पुलिस अब ज़मीन की पैमाईश भी करवाएगी और फिर अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेगी.

➢ **इस बीच कुछ और चिंताजनक तथ्य सामने आये जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह हमला सोचा समझा था – इसमें जातिगत भेदभाव और हिंसा करने का पूरा इरादा था और इसकी योजना पहले से बनाई जा रही थी तथा जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया तो इसको 'सवर्ण जाति की गरिमा' पर चोट का मुद्दा बनाते हुए और हिंसा उकसाने वाली बातें सोशल मीडिया में भी लिखी गयीं. पुलिस तथा प्रशासन ने इस पर क्या कार्यवाही की और क्या यह तथ्य कोर्ट को सौंपे गये यह स्पष्ट नहीं (संलग्न 7**: सोशल मीडिया पर चांदनी मामले में आरोपीयों के पक्ष में कमेंट्स के स्क्रीनशॉट **)**

➢ गौर करने की बात यह भी है कि इस मामले में जो आरोपी ठहराए गये हैं वो केदार सिंह जिन्दान के कत्ल में पाए गये अपराधियों के रिश्तेदार हैं – और जैसे के केदार सिंह जिन्दान की हत्या के बाद हुआ था इस मामले में भी सवर्ण समाज ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है.

4. सिरमौर में जातीय हिंसा और ज़मीन के मुद्दे - चर्चा

जगिया राम पर हिंसा से ठीक दो साल पहले सिरमौर के गिरी पार के शिलाई क्षेत्र में एक भयानक जातिगत हिंसा की घटना में केदारसिंह जिन्दान नामक एक अनुसूचित जाति सामाजिक कार्यकर्ता तथा वकील को बेहरमी से दिनदहाड़े खुले आम जान से मार दिया गया था. सवर्ण समाज के अपराधियों की ज़मानत के लिए दबाव के बावजूद इस मामले में कड़ी कार्यवाही हुयी क्योंकि इस अपराध को ले कर राष्ट्रीय स्तर तक बात गयी और कई सामाजिक संगठनों, दलित मोर्चों और कुछ राजनैतिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन और सरकार से लगातार जवाबदेही मांगने का काम चलता रहा. परन्तु यह निंदनीय है, हालांकि आश्चर्यजनक नहीं, कि केदार सिंह जिन्दान की हत्या के पहले जो उसके और उसके परिवार और समुदाय के साथ घटा उस प्रकार की जातीय हिंसा और भेदभाव का सिलसिला कोई अपवाद मात्र नहीं बल्कि सिरमौर क्षेत्र के गाँव गाँव की कहानी है.

सिरमौर हिमाचल के पूर्वी छोर में स्थित जिला है जिसकी सीमाएं उत्तराखंड और हरियाणा से लगती हैं. गिरि (जो कि यमुना की सहायक नदी है) के वार और पार में बसा ये इलाका जितना प्राकृतिक संपदा से भरपूर है उतना ही कई सामाजिक चुनौतियों का शिकार भी. 30% अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम नहीं होती – पर इसके बावजूद यहाँ का अनुसूचित जाति समाज आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जातिवादी हिंसा की चपेट में है. भारतीय समाज में जातिवादी मानसिकता का कब्ज़ा आज़ादी के 7 दशकों बाद भी कायम है **और सिरमौर जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाके की कुछ ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ और सामाजिक -आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जो इस मान्यता को जुठ्लातीं हैं कि पहाड़ों में जाति और लिंग आधारित हिंसा प्लेन्स के मुकाबले कम है.**

सिरमौर में स्थानीय आजीविका का स्रोत खेती और पशुपालन है. क्षेत्र के अधिकतर किसान सीमान्त हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है – परन्तु ऐतिहासिक रूप से भूमिधर लोग सामान्य जाति या राजपूत समुदाय से हैं. पुरानी जजमानी या बेठ प्रथा के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार तथाकथित उच्च जाति के बंधुआ मजदूर होते थे और कोली समाज जिसकी जन संख्या हिमाचल के दलितों का सबसे बड़ा भाग है – खेतों में काश्तकारी और बाद में अंग्रेजों के लिए आरक्षित वनों में भी इस तरह की मजदूरी करते थे. आज़ादी के बाद भूमि सुधार के कानूनों में यह सुनिश्चित किया गया की ज़मीन पर काश्त करने वालों को मालिकाना हक मिले परन्तु इस कानून का आधा अधूरा क्रियान्वयन हुआ और आज भी यह प्रथा कई जगह जारी है. आज सिरमौर में हजारों एकड़ शामलात भूमि को ले कर भी एक विवाद की स्थिति बन रही है. यह भूमि जो पंचायतों की संपत्ति थी और 1974 में राज्य सरकार के अधीन ले ली गयी ताकि इसका आवंटन भूमिहीनों के बीच किया जाए – इसके तहत पूरे हिमाचल में 1 लाख हेक्टेयर को allotable pool और 3.15 लाख हेक्टेयर भूमि को reserve pool की श्रेणी में डाला गया (चमेल सिंह कमिटी रिपोर्ट 2005). परन्तु आज इस भूमि को ले कर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी – एक तरफ वन विभाग इस पर अपना स्वामित्व जताता है तो दूसरी तरफ राजस्व विभाग के माध्यम से क्षेत्र के दबंग सवर्ण परिवार अपना. 2001 में एक अधिसूचना के माध्यम से 'पुराने मालिकों' को 'वापस' लौटाई गयीं ये ज़मीने आज हिमाचल के सोलन, शिमला तथा सिरमौर के दलितों के हाथ से निकल रही हैं क्योंकि राजस्व जमाबंदियों में 'पुराने' मालिक अधिकतर 'सामान्य जाति' के हैं – और यह शामलात भूमि भी उन्हीं की मल्कियत मानी जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जाति समुदाय पर हिंसा की वारदातें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि समुदाय के लोगों ने बंधुआ मजदूरी और कई रूढ़िवादी प्रथाओं को ठुकराया है और संसाधनों पर अपने अधिकार को भी हासिल करने का प्रयत्न किया है. दूसरी तरफ ज़मीन के बढ़ते दामों और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

में निजी संपत्ति पर कब्ज़ा जमाने के लिए दबंग समुदाय आगे हैं. इस फैक्ट-फायिन्डिंग के दौरान एक पुलिस अधिकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में धारा 3(1)(g) (ज़मीन से बेदखली) के मामले आधिक नजर आ रहे हैं. ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों के मालिकाना अधिकार में वंचित जातियों के साथ न्याय का मुद्दा और इन समुदायों के खिलाफ हिंसा के मुद्दों में परस्पर सम्बन्ध देखना आवश्यक है ताकि दोनों समस्याओं का निवारण हो सके.

5. सिफारिशें और सुझाव

क. जगिया राम और संतोष देवी पर जातीय हिंसा के मामले में तुरंत उठाने वाले कदम:

- **हिंसा का प्रकार केवल गंभीर ही नहीं था बल्कि यह लम्बे समय से बार बार प्रताड़ना के इतिहास के बाद जानलेवा हमला था और इसमें एक अनुसूचित जाति महिला पर लैंगिक हिंसा भी शामिल है.** आज जगिया राम का परिवार पुलिस की सुरक्षा के बावजूद मानसिक तनाव और दहशत में जी रहा है. **इसमें न्याय के लिए पहला कदम यही होगा की अपराधियों की ज़मानत रद्द की जाए और उनको तुरंत हिरासत में लिया जाये.**
- पुलिस को अपनी कार्यवाही सुदृढ़ और न्यायपूर्ण तरीके से करते हुए इसमें IPC की धारा 507 को जोड़ना चाहिए. इस कार्यवाही में 4 व्यक्तियों पर FIR की गयी है जबकि उस दिन मौके पर और लोग भी मौजूद थे – इस की पूर्ण और कड़ी जांच होनी चाहिए और सभी व्यक्ति जिन्होंने इस हिंसा में भाग लिया उनका नाम FIR में जोड़ा जाना चाहिए
- साथ ही ज़मीन की पैमाईश को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए एक स्वायत कमिटी का गठन किया जाना चाहिए जिसमें रिटायर्ड राजस्व अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी तथा सामाजिक संगठन के एक प्रतिनिधि मौजूद हों
- पुलिस की सुरक्षा तब तक मिलनी चाहिए जब तक कि केस की सुनवाई संपन्न नहीं होती

ख. हिमाचल तथा सिरमौर में जातीय हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा निम्न कदम उठाने चाहिए

- **राज्य में तुरंत अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना आवश्यक है** ताकि जातिगत भेदभाव एवं हिंसा के मामलों की जांच तथा निपटारे के लिए एक स्वतंत्र संस्थान पुलिस और प्रशासन से जवाबदेही ले सके
- **सिरमौर में प्रशासन और पुलिस को जातिगत हिंसा, भेदभाव और इसके निवारण में प्रभावशाली तथा निष्पक्ष रूप से कार्यरत होने के लिए संवेदनशील बनाना** – इसके लिए सामाजिक संस्थानों और विशेषज्ञों द्वारा ख़ास प्रशिक्षण का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए
- **प्रदेश में दलितों और भूमिहीन समुदायों के भूमि के मसले अत्यंत गंभीर हैं और अक्सर जातिगत हिंसा का आधार भी**. मुख्य रूप से इसमें ज़मीन पर कब्ज़ा होने पर पट्टा न होना और पट्टा होने पर कब्ज़ा न होने जैसी समस्याएं शामिल हैं. इन मामलों को समयबद्ध तथा न्यायपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए. हम अपील करते हैं कि राजस्व जमाबंदियों में जिनको नौतोड एल्लोट की गयी थी उनको पट्टा प्रदान करने चाहिए
- इसके अलावा वन अधिकार कानून 2006 का प्रभावी और शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए. वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पहले से काबिज़ अनुसूचित जाति समुदाय के लोग इस कानून के तहत 'अन्य परम्परागत वन निवासियों' की श्रेणी में आते हैं और अपने सामूहिक तथा निजी दावे भर सकते हैं.
- 'साथ ही सिरमौर में शामलात भूमि का 2001 के संशोधन का नकारात्मक प्रभाव भी नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आजीविका कमाने लायक भूमि भी अनुसूचित जाति के परिवारों के हाथों से छिन रही है – इस सन्दर्भ में शिलाई के SDM द्वारा लिया गया निर्णय न्यायपूर्ण रहा – इसका क्रियान्वयन करना चाहिए तथा 2001 के संशोधन को वापिस लेते हुए जो तक्सीमें 2001 के बाद की गयी हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए.
- अनुसूचित जातियों की ज़मीन से बेदखली के मामलों में गंभीर और तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए जिसमें **अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(g) लगाना अनिवार्य है.**

6. संलग्न

संलग्न 1: जगिया राम द्वारा की गयी शिकायत 15/07/19

BEFORE THE DISTRICT MAGISTRTE, DSTRICT SIRMAUR, AT NAHAN HIMACHAL PRADESH

232
26819

Jagia Ram aged about: 42 yrs. caste : Koli(Scheduled caste) son of Sh. Nath Singh, r/o Village Chandni P.O.Bharog Baneri Tehsil Kamrou Dist. Sirmaur, HP. through GPA of Sh.Naresh Kumar caste : Koli(Scheduled Caste)by profession : Serving in Para Military Force posted at Agra (UP).

Applicant /Complainant

Versus

1. Anil Singh s/o late Dharam singh, [
2. Kuldeep Singh s/o late Dharam singh, [
3. Randeep Singh s/o late Dharam singh, [all residents of village Chandni,
4. Sohan Singh s/o Bhup Singh [P.O. Bharog Baneri Tehsil Kamrou
5. Surender singh s/o Bhup Singh, [Distt. Sirmaur, HP.
6. Smt. Bimla Devi w/o Randeep Singh, [
7. Balbir Singh s/o Mata Ram, [
8. Ramesh chand s/o Salag Ram, [
9. Daya Ram s/o Uday Singh, [
10. Barhma Nand s/o Daulat Ram [

...Non-applicants/Respondents

Complaint U/s 3 (1) clause 3(1)(iv) (v) (viii) (ix) (x) (xi) (xiii) (xiv) & clause (xv) of SCST (Prevention of Atrocities) Act 1989, for taking necessary legal action against the respondents / non-applicants, for committing atrocity on the applicant and his family members to assess the extent of atrocity , loss of life, loss and damage to the property of the applicant and his family, wrongfully occupying the landed property of the applicant, dispossessing the applicant and his family members , interfering with the enjoyment of the rights over the land comprised in 389/342/9 measuring 1-9 bighas, situated at Mohal Chandni, restraining from raising construction of residential house over the land of the applicant/GPA, intentionally insulting intimidating and humiliating the family members of the applicant in any place within public view, removing the drinking water pipes / sources ordinarily used by the members of the applicant and forcing or causing the family members of the applicant to leave their house, village other place of residence, directing the Superintendant of Police Sirmaur / Dy. Superintendent of Police of Sirmaur District at Nahan for lodging FIR against the respondents/ non-applicants as per law and the family of the applicant may be providing security for causing loss to the life and property of the applicant and his family members.

SHO PS PNT
Please do as per law

Sub Divisional Police Officer
Paonta Sahib, Distt. Sirmour (H.P.)
26. 8. 19

Respectfully Sheweth :-

That the brother of the applicant, sh. Naresh Kumar is Serving in the Indian Army as Para Military force posted at Agra, (UP), who purchased the land comprised in Khasra No. 389/342/9 measuring 1-9 bighas, situated at Mohal Chandni, Tehsil Kamrou Dist. Sirmaur, HP, from Sh. Mohan Singh s/o Narayan singh, r/o Chandni Tehsil Kamrou in the year 2016.

2 That the applicant is appointed as GPA by his brother Sh. Naresh Kumar , being serving in Indian Army as Para Military Force and for and on behalf of his brother, Sh. Naresh Kumar executed GPA duly registered in the office of Sub Registrar Kamrou in favour of the applicant for all acts, deeds and things qua the above said land.

3 That Naresh Kumar through GPA Sh.Jagia Ram applicant got demarcation qua land vide Missal No. 28/17 dated 16.5.2017 through A.C. 2nd grade Kamrou under order No. 384 dtd. 26.4.2017 and survey marks were fixed on the boundary lines and the father of the applicants No.1 & 2 was also present alongwith his relatives and other respectable persons and applicant and respectable persons were satisfied with the demarcation conducted by the revenue agency, but the father of respondents No.1 & 2 was dissatisfied with that demarcation and refused to got his signature for appearance and satisfaction.

4 That the father of the respondents No.1 & 2 got demarcated the land of the applicant through Revenue agency with the help of Police agency vide Missal No. 35/2017 measuring 1-09 bighas, and the survey marks were fixed on the boundary lines of the land of the applicant properly as per procedures and by this demarcation, the applicant and father of the respondent No.1 & 2 was satisfied with the demarcation, but when the applicant requested the revenue agency to get demarcate the possessed land of the father the applicants No.1 & 2, the father of the applicants no.1 & 2 refused to demarcate their land with a view to malafide intention that the respondents No.1 to 4 have grabbed the land of the HPPWD comprised in khewat khatauni No. 1min/43 bearing khasra No.390/ 342/9 min measuring 16-11-00 bighas,

5 That the brother of the applicant raised House loan from SBI Branch Dadahu Dist. Sirmaur, HP, for Rs.13.00 lacs in Aug.2017, and same was got sanctioned, but the respondents No.1 to 4, started tortured and restrained the applicant and his family from raising construction of residential house carrying the building materials to the said land, without having any right title and interest and starting insulting , maltreating and threatened the applicant and his family members to finish their life and property with dire consequences .

6 That to the father of the applicant , the respondents No.1 to 4 gave threatening that until or unless the family of the applicant leave the house and village, they will humiliate and become the life of the applicant and his family hell and since then the applicant and his family members are apprehended from the illegal acts, conducts and threatening.

7 That the applicant filed a civil suit for permanent prohibitory injunction restraining the respondents No.1,2 & 4, from interfering in the peaceful possession of the applicant by erecting fencing barbered wire in the land themselves or through their agents, servants or assignees in any manner whatsoever till the disposal of the main suit, and stay has been granted continuously , against the respondents No.1,2 and 4, but the respondents No.1 2 and 4 (defendants) to counterblast the case of the applicant, filed civil suit qua the land comprised in khasra No.390/342/9 , which is illegally possessed by the respondents No.1,2, & 4 and with a view to grab the HPPWD land pertaining to the possessed land of the respondents No.1,2 4, the respondents are having malafide intention to grab the purchased land of the applicant and with might is right , with muscle powers, the respondents with committing conspiracy by filing false complaints to drag the applicant and his family in litigation , are compelling and forcing the applicant and his family members to leave the house and village Chandni and shift to another place other than the Village Chandni, as such, the applicant and his family members belong SCHEDULE CASTE and financial and politically weak and can not face the dire consequences and affray of the respondents.

8 That on 16.6.2019, the respondent No.6 with the help of young boys and girls, of her neighboring hood, tress passed into the land of the applicant, and cut and fell the Shisham tree early in the morning having with Darat and destroying the Drinking water pipe duly using by applicant and his family for drinking water supply purpose, to prevent the villagers from obtaining the drinking water there from, which was jointed through the landof the applicant, with a view to put the villagers in suspense with a view to raise objection so that the blame will be upon the applicant, these type of illegal activities and conspiracy have been committed by the respondent No.6, duly committed on the instance of the respondents No.1,2 & 4.

9 That the applicant filed complaint to the Police PP Rajban regarding the cutting felling of the Shisham tree of the applicant, but no hearing was effected by the Police PP Rajban and the Rajban Police supporting the Rajput Family of the applicants No.1 ,2 & 4, the inaction was taken against the respondent No.6.

10 That the applicant time and again has been humiliated by the respondents No.1,2 & 4 with the help of other respondents and respondents No.7 to 10 are close relative and neighbour of the respondents No.1,2, & 4 .

11 That the respondents No.1,2, & 4 are muscle power and one of the respondents, Mr. Anil Singh had been always wrong intention against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities due to Reservation and a written note for abusing the Scheduled Caste and Scheduled Tribe and abusing to the Police of Himachal Pradesh blaming the police for adverse behaviour towards Rajputs, these words humiliating the scheduled caste by respondent No.1 coating "*Sewa me, Mananiye Mukhyamantri*

H.P., Shrimaan Ji, Main Anil Singh Tomar Gaon Chandni, SirmuarHimachal Pradesh Aaj apne Pure Hoshoawas se aapse nimn Jati aur Bikau Puloce Vibhag ke ravaiye so Tang Aakar ICHHA MRITYU kei Anumati Chahata hun, Mera Dosh sir Itna hai ke main Swaran jati se Tallukh rakhta Hu. KJash main bhi schedule caste me Paida Huwa Hota. Nimn Jati ke logon drawra Jhuthe Aropoo aur Police ke laparwah Raveaiye ke karan mainyaha nirnay lya hai. Ghut Ghut kar jeene se behtar hai ke mar jaun kyonki sare Niyam Kaide to inke liye hi bane hai Par jata jate ek Aadhe Ko lekar Jaunga. Aap bas inhe he protection de . Hame Mout to dedo. Khatam karo ye Jativaad ka Kanoon aur hame bhi jeene do Aaram se." Dhanyabad , prarthi: Ail Singh Tomar (Anil) Mob. 91-9805397143.

12 That since the summer vacation has been effected, the family of the respondents No.1,2 and 4 are tress passing and cutting the leaves and grass from the land of the applicant and the respondents have become the life of the applicant and his family members miserable and hell and complicated the life and fear of attack in the rainy season, the respondents have their malafide intention that they can result into murder of the applicant and his family members.

13 That it is pertinent to mention here that respondent Anil Singh moved a false application U/S 120 of HP Land Revenue Act for penalizing the applicant, with the connivance of respondents No. Balbir Singh s/o Mata Ram, Ramesh chand s/o Salag Ram, Daya Ram s/o Uday Singh,Barhma s/o Daulat Ram of r/o Chandni Tehsil kamrou, alleging the applicant that he has removed the survey marks duly erected fixed by the Revenue agency for 10 numbers, by providing the false eye witnesses supporting the respondent No.1, producing the respondents No. 7 to 10 that at the time of removing and destroying the survey marks by applicant Jagiya Ram, respondents No.7 to 10 were present at the spot and they have seen the applicant Jagiya Ram . and the respondents No. 7 to 10 being relatives and neighbours of respondents No.1,2 & 4, become false eye witness thereof against the applicant Jagiya Ram so that he may be penalized and due to politically and financially sound, and being efficiency in committing the conspiracy against the innocent and their opponents, the file false complaint against the applicant filed and false FIR also has been registered against the applicant, without affording any opportunity, to file any reply on the question of the respondents No.1,2 & 3. In fact, the matter is that the respondents No.1,2 & 4, with the connivance of Nepali from Dadahu deployed by respondent No.4 who is running his Chemist Shop at Dadahu, fixed the Pillars over the land of the applicant without having any right title and interest and the photographs of the respondents No.1,4 and Two Number of Nepali , are enclosed herewith for kind persual. Big Conspiracy was committed by the Respondents against the applicant in all activities. The police PP Raipan and Revenue officer/ FK Kamrou are not supporting the applicant in his fare

supporting openly to the respondents being politically and financially sound and there is no hearing is effected of the applicant / scheduled case poor person.

14 That it is further submitted that respondent No.4 Sh. Sohan Singh has befooled the Revenue agency as well as Tehsildar and FK Kamrou to the extent that Sohan Singh s/o Bhup Singh, r/o Chandni Tehsil Kamrou has shown himself as Sohan singh s/o Jati Ram of r/o Village Chandni and has become the Eye witness , whereas, there is no kind of person in the name of Sohan singh s/o Jati Ram, live in Village Chandni, but the Sohan Singh has shown himself as eye witness for removing and destroying the survey marks alleged against the applicant, this type of conspiracy has been committed by the respondent No.4, as the respondent No.4 is well aware of the fact that respondent No.4 Sohan Singh is a party in the suit case titled Naresh Kumar Vs. Kuldeep singh and 2 others pending disposal in Ld. Civil Judge Jr. Div. Court No.2 Paonta Sahib and this way, and Sohan Singh s/o Bhup singh has been shown the eye witness and true and material fact has been suppressed and big connivance to compel the applicant for leave the house and village Chandni, this type of conspiracy and terror has been committed by the respondents.

15 That every time the respondents No.1,2 & 4 and his family members restrain and humiliate the applicant and public path which is illegal and against the right of the applicant.

16 That the family of applicant is living in the fear and threatening with dire consequences and land is to be grabbed and leaves and grass from the land of the applicant and his family is being cut and removed and on such terror atmosphere family of the applicant is not safe, therefore FIR against the respondents be registered and legal action be taken against the respondents so that the family of the applicant and himself could get relief from the terror of the respondents , strong investigation be done and they be arrested accordingly, unless or until, the applicant shall be constrained to knock the door of the Hon'ble court, in case the accused /respondents are not arrested .

It is therefore respectfully prayed that in view of the facts and circumstances, direction to the Superintendent of Police Sirmaur HP, be directed to register the case against the respondents and prompt legal action against the respondents may kindly be taken and police protection be granted to the family of the applicant and respondents be bound down with muchalkas because respondents No.1,2 & 3 are refraining the applicant from raising construction of his house and forcing the applicant and his family to leave the house and village Chandni within fortnightly. , hence this complaint.

Dated: 15.7.2019

Applicant/complainant

Jagia Ram Through GPA
Naresh Kumar s/o Nain Singh,
r/o Village Chandni Tehsil Kamrou,
Mob. No.9816099308

Copy to : 1) The Superintendent of Police

संलग्न 2: 16/09/20 FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट copy

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): SIRMAUR P.S. (थाना): Puruwala Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0126 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 16/09/2020 18:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	341
2	IPC 1860	323
3	IPC 1860	326
4	IPC 1860	506
5	IPC 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): Wednesday Date From (दिनांक से): 16/09/2020 Date To (दिनांक तक): 16/09/2020
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 12:00 hrs Time To (समय तक): 16:20 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/09/2020 Time (समय): 17:48 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019 Date & Time (दिनांक और समय): 16/09/2020 17:48 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): WEST, 25 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): VILL CHANDNI ,KAMRAU

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): JAGIA RAM

(b) Father's Name (पिता का नाम) : SH NAIN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILL CHANDNI ,KAMRAU,Puruwala,SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	VILL CHANDNI ,KAMRAU,Puruwala,SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	ANIL KUMAR			1. VILL CHANDNI,KAMRAU,Puruwala, SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	SURENDER KUMAR			1. VILL CHANDNI,KAMRAU,Puruwala, SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	KULDEEP			1. VILL CHNADNI,KAMRAU,Puruwala, SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	SOHAN SINGH			1. VILL CHANDNI,KAMRAU,Puruwala, SIRMAUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय पुलिस चौकी राजबन से बजरिया ई0मेल एक किता ब्यान अजाने श्री जागीया राम पुत्र श्री नैन सिंह निवासी गांव चान्दनी तह0 कमरऊ जिला सिरमौर हि0प्र0 वउम 42 साल जेर धारा 154 Cr.PC लिखित व हस्ताक्षरित ASI आत्मा राम प्रभारी पुलिस चौकी राजबन के बराये कायमी मुकदमा मौसुल थाना हुआ है जिसका मजबून जैल है, ब्यान किया कि मै उपरोक्त पते का रहने वाला हूं। तथा खेती बाडी का करता हूं। हम चार भाई है। मेरा बडा भाई जीत सिंह तथा नरेश कुमार है। नरेश कुमार ने 1 बिघा जमीन वर्ष 2016 मै मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह R/O चान्दनी से खरीदी थी मेरा भाई नरेश कुमार आर्मी में नौकरी करता है तथा जमीन की देख भाल नही कर सकता जिस कारण उसने मुझे पावर आफ अटोरनी दी है। तब से लेकर मै अपने भाई की जमीन देख भाल कर रहा हूं। मेरी जमीन सड़क के साथ है। तथा मैने उसमें बाड लगा रखी है। जो कोट के आदेश के अनुसार लगा रखी है। मेरी जमीन पर अनील कुमार, कुलदीप सिंह, सुरेन्द, सोहन सिंह आदि कब्जा करना चाहते है। तथा मैने इस जमीन पर अनील आदि के खिलाफ सिवील कोट पावटा कैश किया है। तथा अनिल कुमार को काम न करने के आदेश कोट ने दे रखे है। आज दिनांक 16.9.20 को समय करीब 12 बजे मौजुद था तो मेरी जमीन मै आवाजे आ रही थी तथा मुझे शक हुआ कि अनील आदि मेरी जमीन मैं कब्जा कर सकते है। मैने पशुओ को घास भी लाना था तथा मैं व मेरी पत्नि सन्तोष देवी घास काटने का दराट वरशी लेकर अपने प्लोट गये। जैसे ही हम अपने प्लाट मैं गये मेने देखा की अनील कुमार, सुरेन्द्र कुमार, कुलदीप, सोहन सिंह सब मिल कर मेरे प्लाट मैं कंटीली तार बाड लगा रहे थे। मैने जब इसका विरोध किया तो सबने मिलकर मुझे व मेरी पत्नि पर हमला कर दिया तथा हाथापाई मैं मेरी पत्नि के कपड़े भी फाड दिये तथा अपने साथ लाई अनील कुमार ने तलवार टाहिने हाथ पर प्रहार किया जिससे मेरी उगली काट दी व मुझे लहू लुहान कर दिया मेरी पत्नि को भी गुम चोटे आई है। मै अनुसूचित जाती से सम्बन्ध रखता हूं। मैने कई बार इनकी शिकायत पुलिस में भी की है। मुझे इन लोगो ने रास्ता रोक कर जान से मारने की धमकीयां दी है। मैं बडी मुशकिल से अपनी जान बचा कर घर पहुंचा उपरोक्त सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये Sd/- Jagia Ram कार्यवाही पुलिस:- इमरोज M.O CH पावटा साहिब ने चौकी हजा पर सूचना दी की एक महिला व एक पुरुष को मारपीट के केस मे उपचार हेतु लाया है। जिस आमदा सुचना पर मन ASI मय मुलाजमान के CH पावटा साहिब पहुचा जहा पर श्री जागीया राम S/O श्री नैन सिंह ने मन ASI के पास अपना ब्यान जेर धारा 154 Cr.PC दर्ज करवाया तथा मजरुब जागीया राम व सन्तोष कुमारी का मेडिकल मुलाहजा करवाया गया तथा MLC प्राप्त की गई। मुताबिक ब्यान व Report MLC पर जुर्म जेर धारा 341, 323, 326, 506, 34 IPC का वकुह में आना पाया गया है। असल ब्यान अभियोग दर्ज करने आ0 रमेश 261 के चौकी राजबन बराये सकैन भेजा जा रहा है। मन ASI व्यस्त CH हूँ। Sd/- आत्मा राम /ASI I/C PP Rajban Dt. 16-9-2020 at 4.20 PM.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sat Parkash Bhardwaj Rank (पद): HC (Head Constable)
No.(सं.): 325 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

संलग्न 3: जगिया राम द्वारा 29/09/20 पुलिस अधीक्षक को पत्र

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक
जिला- सिरमौर।

29/09/2020

विषय:- पुरवाला थाना के थाना प्रभारी विजय रघुवंशी तथा पुलिस चौकी राजवन के एएसआई आत्माराम द्वारा 17 सितंबर 2020 सुबह नहान हॉस्पिटल में मुझे व मेरी पत्नी को परेशान करके बयान अपनी मर्जी से लिखने तथा जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने बारे।

महोदय जी ,

आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि पुरवाला थाना के थाना प्रभारी विजय रघुवंशी तथा पुलिस चौकी राजवन के एएसआई आत्माराम द्वारा 17 सितंबर 2020 सुबह नहान हॉस्पिटल में मुझे व मेरी पत्नी को परेशान करके बयान अपनी मर्जी से लिखवाए गए हैं जबकि हम दोनों पति पत्नी की हालात नाजुक थी कि बयान देने में नहीं थे । जिस समय एसएचओ और एएस आई हॉस्पिटल में आए थे , उसी दौरान हमारा ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था तो हम पहले से ही परेशान थे। ऐसे अच्छे और एएसआई द्वारा अपनी मर्जी से एक कागज पर लिखे गए जिस पर हमारे हस्ताक्षर भी जबरदस्ती करवा दिए गए थे जबकि हम अपने बयान को पढ़ने में भी सक्षम नहीं थे। हमारे बयान में क्या लिखा हमें इस चीज की जानकारी नहीं है मगर एएसआई आत्माराम मुझे टेलीफोन पर थाने में आने तथा दराट साथ लाने की बात कह रहा है और मुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है।

महोदय जी 16 सितंबर 2020 करीब 12:30 बजे अनिल सिंह ,कुलदीप सिंह, सोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह और प्रकाश सहित दो अन्य पूरी और तीन महिलाएं हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे थे । इस दौरान उनके साथ हमारे कोली समुदाय के रण सिंह, मोहन सिंह और सूरत सिंह भी उनका सहयोग कर रहे थे तो हमने इनका विरोध किया जिसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया है।

इस दौरान सबसे पहले प्रकाश और सुरेंद्र ने मेरी पत्नी पर हाथापाई करके अश्लील हरकतें की है जिसे मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है।

इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते कुलदीप सिंह ने अपने भाई की तरफ तलवार फैंकी तो अनिल सिंह ने उसी तलवार से मेरी गर्दन को सीधा प्रहार किया जिसे मैंने अपने फोन के कैमरा में रिकॉर्ड किया था। जैसे ही अनिल सिंह ने मेरी गर्दन को काटने के लिए तलवार ऊपर उठाई तो मैंने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाकर अपनी जान तो बचा ली मगर मेरी उंगली और बाजू कट गया था इसके साथ-साथ मेरा फोन भी टूट गया था।

उसके बाद उपरोक्त सभी दोषियों ने मुझे डंडो लात घुसों, तेज धार तलवारों तथा पत्थरों से जानलेवा हमला करके जान से खत्म करना चाहा तो मेरी पत्नी ने बीच-बचाव में आकर मुझ किसी तरह से बचा लिया। इसी दौरान उपरोक्त सभी दोषियों ने मेरी पत्नी को बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाकर कपड़े फाड़े तथा उसके साथ अश्लील हरकतें कर कर उससे रेप करने का प्रयास किया।

मेरी पत्नी और मैं जोर-जोर से चलाएं तो सड़क पर अनजान लोगों ने इस सारी घटना को देखते हुए जो जोर से आवाज लगाई तो सारे दोषी गण वहां से भाग गए थे।

मैं और मेरी पत्नी अपने अपनी भूमि पर उनका विरोध करने के लिए गए थे जहां हमारे पास कोई भी औजार नहीं था।

अतः आप से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि उपरोक्त पुलिस विभाग के एएसआई आत्माराम और एसएचओ विजय रघुवंशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर, इन्हें मेरे केस से संबंधित जांच में शामिल ना करके मुझे तथा मेरी बीवी को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,
जगिया राम पुत्र श्री नैन सिंह
गांव चांदनी ,डाकघर भरोग, तहसील कमरउ,
जिला सिरमौर ,पिन - 173022
8219258281,9816099308

प्रति,
1). अखिल भारतीय युवा कोली / कोरी समाज हिमाचल प्रदेश.
2) राष्ट्रीय कार्यालय अखिल भारतीय युवा कोली / कोरी समाज नई दिल्ली.

संलग्न 4: अखिल भारतीय युवा कोली समाज अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी

AKHIL BHARTIYA YUVA KOLI/KORI SAMAJ(Regd.)NEW DELHI.

अखिल भारतीय युवा कोली / कोरी समाज(रज़ि0).नई दिल्ली.

राष्ट्रीय कार्यालय: C/10 सांवल नगर सादिक के पास नई दिल्ली - 49.

kolikori.com khemck10@yahoo.com

लीलाधर चौहान

अध्यक्ष - हिमाचलप्रदेश

Regd no:S/62866/2008

+91 9459200288 +91 7807266288 leeladhar9@gmail.com

शाखा हिमाचल प्रदेश : SERAJ Thunag, Near SDM Office Thunag, P.O. Teh Thunag, Dist. Mandi (HP) - 175048.

इंजी. खेमचंद कोली जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष / संस्थापक
+91 9810130544

पंकज कोली जी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
+91 8447609960

पत्रांक :23 दिनांक : 16/09/2020

सेवा में ,

पुलिस अधीक्षक

जिला सिरमौर ।

विषय :-सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा हमारे अनुसूचित जाति यानी कोली समाज के एक गरीब परिवार पर बार-बार प्रताड़ित करना तथा तलवार तथा डंडो से जानलेवा हमला करने तथा पुलिस की अनदेखी बारे।

महोदय जी,

आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आपके जिला के अंतर्गत पुरवाला थाना की पुलिस चौकी राजवन के तहत एक अनुसूचित जाति कोली समाज परिवार के जगिया राम पुत्र नैन सिंह गांव चाननी , डाकघर बरोग ,तहसील कमरोउ, जिला सिरमौर का मामला आज हमारे ध्यान में आया है जिन्हे पिछले 2 वर्षों से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है हालांकि एट्रोसिटी एक्ट के तहत पहले भी मामला कोर्ट में चला हुआ है बावजूद इसके दोषियों के हौसले बुलंद है ।

महोदय जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिनांक 16 सितंबर 2020 को करीब 2:00 बजे इस परिवार पर तलवारों और डंडों से दोषी पक्ष द्वारा जानलेवा हमला किया गया जहां से जान बचाकर परिवार हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है मगर अफसोस कि आपकी पुलिस पीड़ित पक्ष को सहयोग के बजाय प्रताड़ित कर रही है जिसकी जानकारी हमें एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है।

जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर चौहान ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार की हालत बहुत खराब है जहां पुलिस उनसे लिखित शिकायत पत्र मांग रही थी जिस पर पीड़ित पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी मगर स्थानीय पुलिस वालों ने उनकी अनदेखी की। हमने आपके ध्यान में जैसे ही मामला लाया उसके बाद पुलिस थोड़ी हरकत में आई है।

महोदय से एक बार फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि पीड़ित परिवार की दशा को देखते हुए दोषी पक्ष के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए अन्यथा संगठन आगामी कार्यवाही करने पर मजबूर हो जाएगा।

लीलाधर चौहान
अध्यक्ष - हिमाचलप्रदेश
जिलामंडी (हि.प्र).

प्रति,
1) राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली.
2) समस्त एबिक्स प्रदेश कार्यालय.

अपने प्राणों से समाज बड़ा होता है, हम मिटते है तो समाज खड़ा होता है ।
नर सेवा ही नारायण सेवा है - जय कोली/कोरी समाज.

संलग्न 5: SP नाहन द्वारा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं प्रथम सूचना में जोड़ने के आदेश

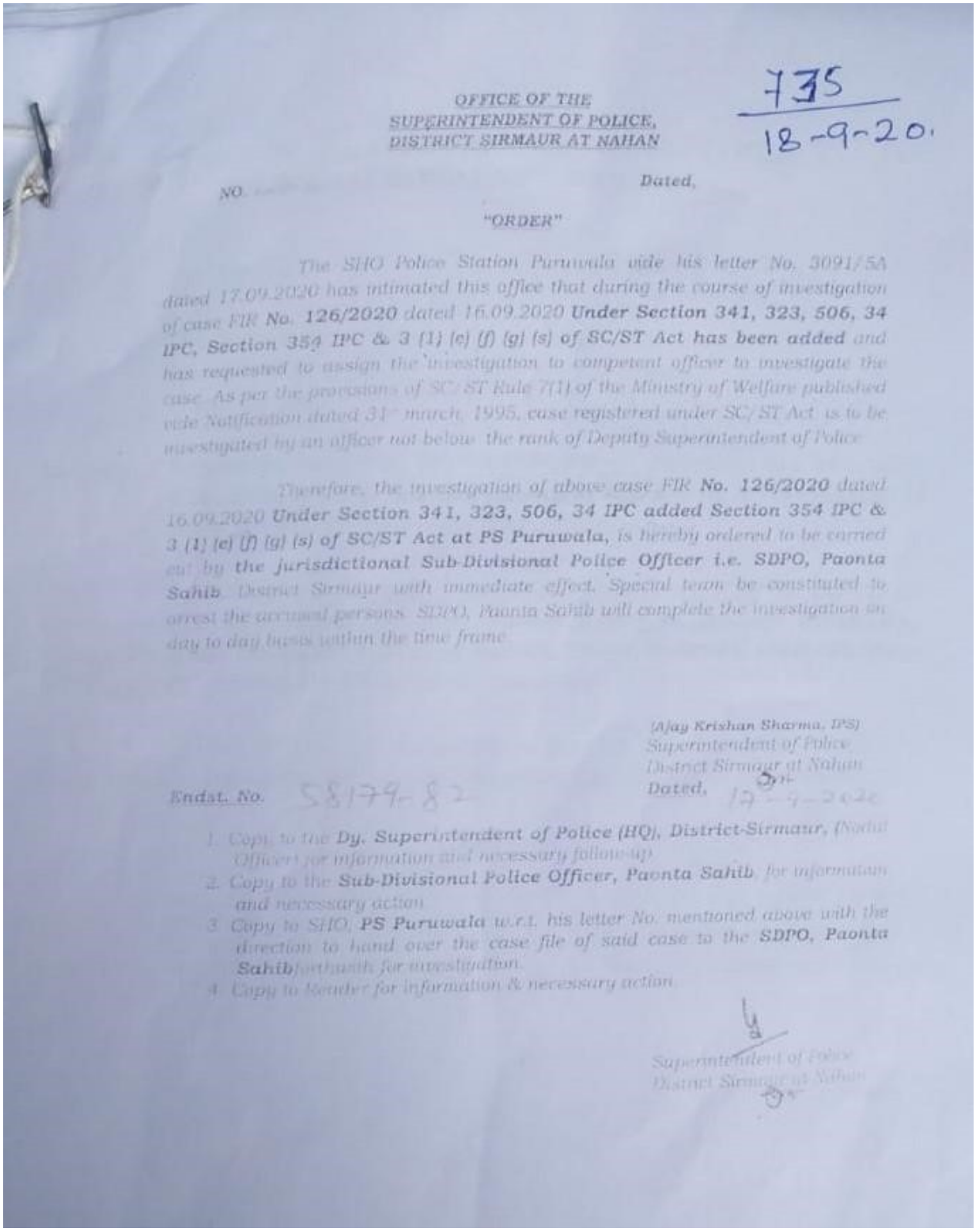

735
18-9-20.

OFFICE OF THE
SUPERINTENDENT OF POLICE,
DISTRICT SIRMAUR AT NAHAN

NO.

Dated,

"ORDER"

The SHO Police Station Puruwala vide his letter No. 3091/SA dated 17.09.2020 has intimated this office that during the course of investigation of case FIR **No. 126/2020** dated 16.09.2020 **Under Section 341, 323, 506, 34 IPC, Section 354 IPC & 3 (1) (e) (f) (g) (s) of SC/ST Act has been added** and has requested to assign the investigation to competent officer to investigate the case. As per the provisions of SC/ST Rule 7(1) of the Ministry of Welfare published vide Notification dated 31st march, 1995, case registered under SC/ST Act is to be investigated by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police.

Therefore, the investigation of above case FIR **No. 126/2020** dated 16.09.2020 **Under Section 341, 323, 506, 34 IPC added Section 354 IPC & 3 (1) (e) (f) (g) (s) of SC/ST Act at PS Puruwala,** is hereby ordered to be carried out by **the jurisdictional Sub-Divisional Police Officer i.e. SDPO, Paonta Sahib** District Sirmaur with immediate effect. Special team be constituted to arrest the accused persons. SDPO, Paonta Sahib will complete the investigation on day to day basis within the time frame.

(Ajay Krishan Sharma, IPS)
Superintendent of Police
District Sirmaur at Nahan
Dated,

Endst. No. 58179-82

1. Copy to the **Dy. Superintendent of Police (HQ), District-Sirmaur,** (Nodal Officer) for information and necessary follow-up.
2. Copy to the **Sub-Divisional Police Officer, Paonta Sahib** for information and necessary action.
3. Copy to SHO, **PS Puruwala** w.r.t. his letter No. mentioned above with the direction to hand over the case file of said case to the **SDPO, Paonta Sahib** forthwith for investigation.
4. Copy to Reader for information & necessary action.

Superintendent of Police
District Sirmaur at Nahan

संलग्न 6: आरोपियों की ज़मानत का निर्देश

1

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

Cr.MP(M) No. 1654 of 2020

Date of Decision: Sep 25, 2020

Kuldeep Singh ...Petitioner.

Versus

State of Himachal Pradesh ...Respondent.

Coram:

The Hon'ble Mr. Justice Anoop Chitkara, Judge.

Whether approved for reporting?[1] ***No.***

For the petitioner: Mr. Manoj Pathak, Tarun Pathak and Mr. Nikhil Chugh, Advocates.

For the respondent: Mr. Nand Lal Thakur, Addl.AG, Mr. Ram Lal Thakur, Asstt. AG & Mr. Rajat Chauhan, Law Officer.

Anoop Chitkara, Judge (oral)

ASI Atma Ram, Incharge, Police Post Rajban, Police Station Puruwala, District Sirmour, HP is present alongwith record. Status report filed and is taken on record in Cr.MPM No. 1653 of 2020.

2. The petitioner, on being arraigned as an accused for commission of offences punishable under Sections 323, 341, 506 of the Indian Penal Code and under Section 3 (1) U of the Scheduled Caste & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, in FIR No. 126 of 2020, dated 16.9.2020, registered in Police Station, Puruwala, Paonta Sahib, District Sirmour, HP, has come up under Section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1973, seeking permission to surrender before this Court, and simultaneously seeking release on ad-interim bail. Given the

[1] **Whether reporters of Local Papers may be allowed to see the judgment?**

High Court of H.P.

propositions of law involved, instead of accepting surrender, the Court stayed the arrest subject to his joining the investigation in the interim.

3. The accused/petitioner is present in Court and has offered to surrender, which is accepted, and thus, is in deemed custody of the Court. I have heard counsel for the parties. It remains undisputed that the petitioner had joined the investigation. As per the petitioner, there are cross cases between the him and the complainant. However, at this stage, it cannot be said as to who is the aggressor in these cross cases.

4. Given the pronouncement of Supreme Court in **Arnesh Kumar v. State of Bihar**, (2014) 8 SCC 273, the Court is granting bail to the petitioner, subject to the imposition of following conditions, which shall be over and above, and irrespective of the contents of the form of bail bonds in chapter XXXIII of CrPC. Consequently, the present petition is allowed. The petitioner shall be released on bail in the present case, connected with the FIR mentioned above, on his furnishing a personal bond of INR 5,000/, (INR Five thousand only) to the satisfaction of the Registrar (Judicial) or any Officer authorized by him, or by Additional Registrar (Judicial) of this Court, during the course of the day. The furnishing of bail bonds shall be deemed acceptance of all stipulations, terms, and conditions of this bail order:

(i) The Attesting Officer shall mention on the reverse page of personal bonds, the permanent address of the petitioner along with the phone number(s), WhatsApp number (if any), email (if any), and details of personal bank account(s) (if available). The petitioner shall intimate about the change of residential address and change of phone numbers, WhatsApp number, e-mail accounts, within thirty days from such modification, to the Police Station of this FIR, and the concerned Court, if such stage arises.

(ii) The petitioner shall join investigation as and when called by the Investigating Officer or any superior officer.

(iii) The petitioner shall not influence, browbeat, pressurize, make any inducement, threat, or promise, directly or indirectly, to the witnesses, the Police officials, or any other person acquainted with the

High Court of H.P.

facts of the case, to dissuade them from disclosing such facts to the Police, or the Court, or to tamper with the evidence.

(iv) Once the trial begins, the petitioner shall not in any manner try to delay the trial. The petitioner undertakes to appear before the concerned Court, on the issuance of summons/warrants by such Court. The petitioner shall attend the trial on each date, unless exempted.

(v) There shall be a presumption of proper service to the petitioner about the date of hearing in the concerned Court, even if it takes place through SMS/ WhatsApp message/ E-Mail/ or any other similar medium, by the Court.

(vi) In case of non-appearance, then irrespective of the contents of the bail bonds, the petitioner undertakes to pay all the expenditure (only the principal amount without interest), that the State might incur to produce him before such Court, provided such amount exceeds the amount recoverable after forfeiture of the bail bonds, and also subject to the provisions of Sections 446 & 446-A of CrPC. The petitioner's failure to reimburse the State shall entitle the trial Court to order the transfer of money from the bank account(s) of the petitioner. However, this recovery is subject to the condition that the expenditure incurred must be spent to trace the petitioner and it relates to the exercise undertaken solely to arrest the petitioner in that FIR, and during that voyage, the Police had not gone for any other purpose/function what so ever.

(vii) The petitioner shall abstain from all similar activities. If done, then while considering bail in the fresh FIR, the Court shall take into account that even earlier, the Court had cautioned the accused not to do so.

(viii) This bail order shall *ipso facto* vacate if the accused attempts to browbeat the victim or repeats the offence.

(ix) In case of violation of any of the conditions as stipulated in this order, the State/Public Prosecutor may apply for cancellation of

bail of the petitioner. Otherwise, the bail bonds shall continue to remain in force throughout the trial.

5. The Officer, in whose presence the petitioner puts signatures on personal bonds, shall explain all conditions of this bail order to the petitioner, in vernacular and if not feasible, in Hindi or English.

6. In case, the petitioner finds the bail condition(s) as violating fundamental, human, or other rights, or causing difficulty due to any situation, then for modification of such term(s), the petitioner may file a reasoned application before this Court, and after taking cognizance, even before the Court taking cognizance or the trial Court, as the case may be. Such Court shall also be competent to modify or delete any condition.

7. This order does not, in any manner, limit or restrict the rights of the Police or the investigating agency from further investigation as per law.

8. The present bail order is only for the FIR mentioned above. It shall not be a blanket order of bail in any other case(s) registered against the petitioner.

9. Any observation made hereinabove is neither an expression of opinion on the merits of the case, nor shall the trial Court advert to these comments.

10. The SHO of the concerned Police Station or the Investigating Officer shall send a downloaded copy of this order, preferably a soft copy, to the victim, at the earliest.

11. In return for the protection from incarceration for breaking the law, the Court believes that the accused shall also reciprocate through desirable behavior.

The petition stands allowed in the terms mentioned above. All pending applications, if any, stand closed.

(Anoop Chitkara),
Judge.

Sep 25, 2020 (PK)

High Court of H.P.

संलग्न 7: सोशल मीडिया पर चांदनी मामले में आरोपीयों के पक्ष में **कमेंट्स के स्क्रीनशॉट**